बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

हरियाली मिशन

वर्ष 2012–13 का वार्षिक प्रतिवेदन

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

हरियाली मिशन

पृष्ठभूमि :–

बिहार राज्य में कृषि रोड मैप के एक प्रमुख अव्यव के रूप में हरियाली मिशन को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 9.79 प्रतिशत क्षेत्र वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। इसमें से लगभग 3 प्रतिशत क्षेत्र अभिलिखित/अधिसूचित वन क्षेत्र से बाहर है। हरियाली मिशन का उद्देश्य वर्तमान के 9.79 प्रतिशत स्थायी हरियाली आवरण को अगले पाँच वर्षों (2012–17) में बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक किया जाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वन क्षेत्र के बाहर के 5.30 प्रतिशत भू–भाग को वृक्ष आवरण के अधीन लाने की आवश्यकता होगी, अर्थात् इस अतिरिक्त वृक्ष आवरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 4600 वर्ग किलोमीटर (4.60 लाख हे0) भूमि को वृक्षों से आच्छादित करना होगा। चूँकि राज्य में अभिलिखित वन भूमि के क्षेत्र को बढ़ाना संभव नहीं है, अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गैर वन भूमि एवं फार्म लैंड को वृक्ष आवरण के अधीन लाना आवश्यक होगा।

हरियाली मिशन के उद्देश्य :–

- बिहार राज्य में वर्ष 2017 के अंत तक स्थायी हरियाली आवरण क्षेत्र को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना है।
- जलछाजन क्षेत्र विकास एवं मृदा तथा नमी संरक्षण द्वारा वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक राज्य के लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को उपचारित करना तथा इसमें से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर अवकृष्ट वनों का पुनरूद्धार किया जाना।
- कृषि वानिकी के द्वारा किसानों को अतिरिक्त/वर्द्धित आय का प्रबंध करने के साथ उनके आर्थिक स्तर पर उन्नयन करना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को रोपित किये जाने वाले वृक्षों के पट्टा के माध्यम से जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता करना।

- राज्य में वनोत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि कर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति में सहायता किया जाना।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कर सुद्ढ़ एवं विस्तारित किया जाना एवं राज्य के औद्योगिकरण को बढ़ावा देना।
- राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करते हुए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना।
- तटबंधों, नहर एवं सड़क के किनारे तथा कृषि अनुपयोगी जमीनों पर विशेष रूप से वृक्षारोपण करना।

रणनीति :–

हरियाली मिशन के उपरांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नवत रणनीति होगी :–

- वन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी के विकास/संवर्द्धन एवं भू–क्षरण की रोकथाम हेतु भू एवं जल–संरक्षण उपायों के संपादन सहित वर्तमान में उपलब्ध वन भूमि के वनोपज/स्टॉक में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि एवं वनभूमि का पुनरूद्धार करना।
- सरकारी एवं निजी बंजर भूमि पर पौधारोपण करना।
- कृषि आय में बढ़ोत्तरी हेतु कृषि वानिकी का कार्यान्वयन।
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आय में वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु उक्त परिवारों को वनरोपण कार्यों एवं पौधारोपण स्थलों की सुरक्षा में शामिल करना।
- सरकारी पौधशालाओं एवं किसान पौधशालाओं की स्थापना कर अच्छी गुणवत्ता के पौधें उपलब्ध कराना।
- स्थान, बाजार एवं आवश्यकता का आकलन कर वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन कर सफल वृक्षारोपण कराना।
- मिशन की प्रणाली के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन बहुविभागीय किया जाना।

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना

बिहार राज्य अंतर्गत वृक्षाच्छादन की वर्तमान 9.79 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने का हरियाली मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषक बंधुओं के सहयोग से कृषि वानिकी योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में 3.6 करोड़ पॉप्लर एवं 2.4 करोड़ अन्य प्रजातियाँ (कुल 06 करोड़) पौधें लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

योजना का विस्तार :– इस योजना का विस्तार तीन चरणों में वर्ष 2012–13 से लेकर 2014–15 तक में पूर्ण बिहार में किया जायेगा।

(क) प्रथम चरण में वर्ष 2012–13 में पटना, आरा, बक्सर, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, आदि 11 जिलों में योजना प्रारम्भ की जायेगी।

(ख) द्वितीय चरण में वर्ष 2013–14 में उत्तर बिहार के पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सारण, गोपालगंज, सिवान जिलों में तथा दक्षिणी बिहार में मुंगेर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालन्दा, जमुई तथा भागलपुर जिलों में प्रारम्भ की जायेगी।

(ग) तृतीय चरण में वर्ष 2014–15 में उत्तर बिहार में खगड़िया, मधेपुरा तथा कटिहार जिले तथा दक्षिणी बिहार में अरवल, कैमूर, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय तथा बाँका जिलों में कृषि वानिकी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

योजना का उद्देश्य :– इस योजना में शामिल होने के इच्छुक किसानों को उनके पसंद के पौधे बरसात के मौसम में अपने खेत/बागान/मेढ़ पर लगाने के लिए दी जायेगी। जिससे उनकी आय बढ़ें। इन पौधों के बड़ा होने पर इससे होने वाली संपूर्ण आय पर शतप्रतिशत अधिकार किसान बंधुओं का ही होगा।

योजना में दिये जाने वाले लाभ :–

- चयनित किसानों को उनकी पसंद के अनुसार (यथा संभव) पौधा वन विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- वृक्षारोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी दी जायेगी।
- पौधों की सही देखभाल करने एवं सुरक्षित रखने पर प्रथम वर्ष के अंत में 15/–रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 10/–रुपये एवं तृतीय वर्ष के अंत में 10/– रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिया जायेगा।
- वृक्षारोपण पूरे खेत में 2 मी0 x 2 मी0 या 3 मी0 x 3 मी0 की दूरी पर या अन्य फसलों के साथ या मेढ़ पर लगाये जा सकते हैं।
- पौधों पर संपूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होगा।

योजना में शामिल होने की पात्रता :

- आवेदक के अपने नाम से या लीज पर पौधे लगाने लायक भूमि होनी चाहिए।

  योजना में शामिल होने के लिए भूमि की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है।

रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य :– कृषि वानिकी योजनान्तर्गत आगामी पाँच वर्षों में कुल 239.1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पुरे राज्य में रखा गया है।

(* आंकड़ा लाख में)

		A	B	C	D	E	
क्र0 सं0	**वर्ष/लक्ष्य**	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**2016–17**	**कुल**
1	**अन्य प्रजाति के पौधे**	20.1	60	50.5	44.5	64	**239.1**

वृक्ष संरक्षण योजना

बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के वृक्षछादन की वर्तमान स्थिति 9.79 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत के उद्देश्य से प्राकृतिक वनों के बाहर अवस्थित पथ तट, नहर तट तथा बांधों के तटबंध इत्यादि पर रोपित वृक्षों के ग्रामीणों की सहभागिता से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वृक्ष संरक्षण योजना लागू किये जाने का संकल्प सरकार द्वारा ली गयी है। इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण स्थल से निकट के ग्रामीणों में से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों, जिनके मुखिया का वृक्षपाल के नाम से जाना जायेगा, को सामान्यतः बीस वृक्ष की इकाई बनाकर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। अन्य स्थिति सामान्य रहने पर महादलित, अनुसूचित जाति (महादलित छोड़कर) अनुसूचित जनजाति अन्य परिवारों को इसे प्राथमिकता के क्रम में योजना में शामिल करने के लिए वरीयता दी जायेगी।

योजना का उद्देश्य :

वृक्षारोपण में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाकर वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा कमजोर वर्ग के ग्रामीणों को लाभ पहुंचाना।

योजना का विस्तार :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसूचित वन भूमि के अतिरिक्त पथ तट, नहर तट, नदी तटबंध सहित सरकारी भूमि पर वर्ष 2005–06 एवं उसके बाद किये गये सभी वृक्षारोपणों पर यह योजना लागू होगी।

(ख) समान्यतः बीस वृक्षों की एक इकाई वृक्षपाल (चयनित लाभुकों) को तीस वर्षों की अवधि के लिए दी जायेगी, लेकिन निर्धारित संख्या के इच्छुक योग्य आवेदनों के नहीं रहने पर एक से अधिक (अधिकतम चार) इकाई का आवंटन किया जा सकेगा।

योजना का लाभ :

तीस वर्ष की अवधि के समाप्ति पर वृक्षों के विदोहन के पश्चात् उपलब्ध प्राप्त कास्ट (लकड़ी)पर वृक्षपाल का पूर्ण अधिकार होगा। इसके पूर्व वृक्षों के फल–फूल, टहनी, चारा इत्यादि का उपभोग करने का इस प्रकार करने का पूर्ण अधिकार होगा, ताकि वृक्ष की क्षति न हो। समय पर विदोहन के पश्चात् उसी भूमि पर वृक्षपाल द्वारा पुनः वृक्षारोपण किया जायेगा तथा सामान्य परिस्थिति में उसी लाभुकों को अगले तीस वर्षों के लिए भी इकाई का आवंटन किया जा सकेगा।

योजना में शामिल जिलों का नाम :–

(i) ग्रूप ए0 – कैमूर, रोहतास, नालन्दा, औरंगाबाद, गया, बाँका, एवं पटना।

- वृक्षरोपण स्थल की पहचान कर बीस–बीस पौधों का ग्रूप बनाकर लाभुकों को वृक्ष आवंटित किया गया है।

(ii) ग्रूप बी0 – गोपालगंज, सारण, मोतिहारी, बेगूसराय, तिरहुत, मिथिला, भोजपुर।

- वृक्षरोपण स्थल की पहचान कर बीस–बीस पौधों का ग्रूप बनाकर वृक्षों का इकाई निर्माण किया गया है।

वृक्ष संरक्षण योजना (2012-13)				
क्र.	वन प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य	
			पौधों की संख्या	कुल ईकाई
1	पटना	पटना	14461	721
2	नालंदा	नालंदा	1402	72
3	भोजपुर	भोजपुर		
4		बक्सर		
		कुल	**23147**	**1157**
5	गया	गया		
6		जहानाबाद		
		कुल	**16970**	**840**
7	औरंगाबाद	औरंगाबाद		
8		अरवल		
		कुल	**1697**	**85**
9	बाँका	बाँका		
10		भागलपुर		
		कुल	**1069**	**53**
11	तिरहुत	मुजफ्फरपुर		
12		सीतामढ़ी		
13		शिवहर		
		कुल	**253649**	**12679**
14	मिथिला	दरभंगा		
15		मधुबनी		
		कुल	**218694**	**10895**
16	बेगूसराय	बेगूसराय		
17		समस्तीपुर		
18		खगड़िया		
		कुल	**83666**	**4181**
19	छपरा	छपरा		
20		वैशाली		
		कुल	**78000**	**3900**
21	गोपालगंज	गोपालगंज		
22		सिवान		
		कुल	**159325**	**7966**
23	मोतिहारी	मोतिहारी	129500	6475
24	रोहतास	सासाराम	92776	3970
25	कैमूर	कैमूर	22964	1148
कुल योग			**1097320**	**56694**

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना

''कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना'' हरियाली मिशन, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उद्यमियों/किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉप्लर पौधा रोपण के लिए है।

योजना का उद्देश्य :–

- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण।
- हरियाली बढ़ाना एवं पर्यावरण शुद्धिकरण।
- बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाना।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना।

पॉप्लर ई0 टी0 पी0 की उपलब्धता :– इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण एवं वन विभाग के स्थानीय कार्यालय से पॉप्लर के पौधें निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। पॉप्लर रोपण हेतु न्यूनतम दस फीट ऊँचाई एवं 2.5 ईंच गोलाई के पौधों का चयन अनिवार्य है।

योजना में दिए जाने वाले लाभ :–

- पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी दी जायेगी।
- पौधों की सही देखभाल करने एवं सुरक्षित रखने पर प्रथम वर्ष के अन्त में रू0 15/–, दूसरे वर्ष के अन्त में रू0 10/– एवं तृतीय वर्ष के अंत में रू0 10/– प्रति पौधा प्रोत्साहन के तौर पर दिया जायेगा।
- इस प्रकार तैयार वृक्षों/वनोत्पादों पर सम्पूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होगा।

योजना में शामिल जिलों का नाम :– पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, खगड़िया एवं मधेपुरा।

रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य :– कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में कुल 360.9 लाख पॉप्लर पौधों का रोपण किया जायेगा।

(* आंकड़ा लाख में)

क्र0 सं0	वर्ष/लक्ष्य	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	कुल
1	पॉप्लर ई0 टी0 पी0 उत्पादन	6.2	33.5	103	135.101	151.6	**429.401**
2	दूसरे राज्यों से ई0 टी0 पी0 क्रय/आई0 सी0 एफ0 आर0 ई0 से प्राप्ति	8	25	12	5	0	**50**
3	कुल ई0 टी0 पी0	14.2	58.5	115	140.101	151.6	**479.401**
4	रोपण हेतु ई0 टी0 पी0 की आपूर्त्ति	4.9	30	77	98	151	**360.9**

पॉप्लर कृषि वानिकी योजना की उपलब्धि

क्र.सं.	अंचल का नाम	प्रमंडल का नाम	कृषि वानिकी (ई.टी.पी.)											
			भौतिक लक्ष्य	जिला का नाम	उपलब्धि (प्रमंडलों द्वारा)			उपलब्धि (ICFRE)			कुल उपलब्धि		
					पौधों की संख्या	एरिया (एकड़ में)	किसानों की संख्या	पौधों की संख्या	एरिया (एकड़ में)	किसानों की संख्या	पौधों की संख्या	एरिया (एकड़ में)	किसानों की संख्या
1	मुजफ्फरपुर	तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	25500	सीतामढ़ी	25500	84.7	42	0	0	0	25500	84.73	42
				मुजफ्फरपुर	0	0.0	0	80519	402.6	155	80519	402.595	155
		मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा	8000	मधुबनी	8725	43.6	16	0	0	0	8725	43.63	16
		बेगूसराय वन प्रमंडल	0	समस्तीपुर	0	0.0	0	12175	60.9	71	12175	60.875	71
		कुल –	**33500**		**34225**	**128.4**	**58**	**92694**	**463.47**	**226**	**126919**	**591.83**	**284**
2	सिवान	सारण वन प्रमंडल, छपरा	110000	छपरा	16060	80.3	22	0	0	0	16060	80.3	22
				वैशाली	74396	372.0	319	0	0	0	74396	371.98	319
		मोतिहारी वन प्रमंडल	24950	पू0 चम्पारण	10625	53.1	16	0	0	0	10625	53.125	16
		कुल –	**134950**		**101081**	**505.4**	**357**	**0**	**0**	**0**	**101081**	**505.405**	**357**
3	पूर्णियाँ	पूर्णिया वन प्रमंडल	0	पूर्णिया	0	0.0	0	950	4.8	6	950	4.75	6
		सहरसा वन प्रमंडल	15000	सुपौल	12960	88.0	29	0	0.0	0	12960	88	29
				मधेपुरा	0	0.0	0	1000	5	1	1000	5	1
		अररिया वन प्रमंडल	38000	अररिया	88122	440.0	134	0	0	0	88122	440	134
				किशनगंज	18600	93.0	172	0	0	0	18600	93	172
			53000		**119682**	**621.0**	**335**	**1950**	**9.75**	**7**	**121632**	**630.75**	**342**
4	वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना अंचल, बेतिया	वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल–1	42000	प0 चम्पारण	48356	36.0	15	31775	158.9	67	80131	194.875	82
		वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल–2	48500	प0 चम्पारण	49910	51.0	16	0	0	0	49910	51	16
		कुल –	**90500**		**98266**	**87.0**	**31**	**31775**	**158.875**	**67**	**130041**	**245.875**	**98**
5	पटना	पटना वन प्रमंडल	0	पटना	0	0.0	0	2000	10	5	2000	10	5
		भोजपुर वन प्रमंडल	0	भोजपुर	0	0.0	0	4000	20	1	4000	20	1
		कुल –	**0**		**0**	**0.0**	**0**	**6000**	**30**	**6**	**6000**	**30**	**6**
6	वन्य प्राणी	कैमुर वन प्रमंडल	0	भभुआ	0	0.0	0	1200	6	3	1200	6	3
		कुल –	**0**		**0**	**0.0**	**0**	**1200**	**6**	**3**	**1200**	**6**	**3**
7	गया	औरंगाबाद वन प्र0	0	औरंगाबाद	0	0.0	0	600	3	1	600	3	1
		कुल –	**0**		**0**	**0.0**	**0**	**600**	**3**	**1**	**600**	**3**	**1**
		कुल योग –	**311950**		**353254**	**1341.765**	**781**	**134219**	**671.095**	**310**	**487473**	**2012.86**	**1091**

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनान्तर्गत "पॉप्लर पौधशाला" योजना

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला अन्तर्गत पॉप्लर पौधशाला स्थापना योजना, हरियाली मिशन, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उद्यमियों/किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉप्लर पौधशाला स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना में शामिल होने वाले लाभुकों/कृषकों को निःशुल्क पॉप्लर कटिंग उपलब्ध करायें जायेगें। इससे पॉप्लर के पौधे तैयार होगें, जिसे पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वापस खरीद लिया जाएगा।

योजना का उद्देश्य :–

- पॉप्लर वृक्षारोपण के लिए कम समय में अधिक–से–अधिक पौधा तैयार करना।
- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण।

- **वृक्षों/कटिंग की उपलब्धता :–** इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण एवं वन विभाग के स्थानीय कार्यालय, स्थापित पॉप्लर पौधशाला से पॉप्लर कटिंग निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुकों को 10,000/– (दस हजार) कटिंग प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराये जायेंगे।
- **कृषकों/लाभुकों को लाभ :–** हरियाली मिशन के तहत पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर निर्धारित राशि कुल तीन किस्तों में दी जायेगी।
  - ❖ प्रथम किस्त 20% मार्च में।
  - ❖ द्वितीय किस्त 30% अक्टूबर में।
  - ❖ तृतीय किस्त 50% दिसम्बर में।

1. **योजना में शामिल जिलों का नाम :–** पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, खगड़िया एवं मधेपुरा।

2. **रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य** :– कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में कुल 360.9 लाख पॉप्लर पौधों का रोपण किया जायेगा जिसके लिए पॉप्लर नर्सरी की स्थापना का लक्ष्य निम्नवत् है –

(* आंकड़ा लाख में)

क्र0 सं0	वर्ष / लक्ष्य	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	कुल
1	कटिंग हेतु ई0 टी0 पी0 की आवश्यकता	9.3	28.48	37.53	42.10	0.56	**117.97**
2	नर्सरी हेतु कटिंग की संख्या (लगभग)	55.8	171.00	225.00	253.00	3.38	**708.18**
3	पौधशाला क्षेत्रफल एकड़	558	1710	2250	2530	33.8	**7081.8**
4	पॉप्लर ई0 टी0 पी0 उत्पादन	33.5	103	135.1	152	2.03	**425.63**

मुख्यमंत्री निजी पॉप्लर पौधशाला की उपलब्धि

क्र0सं0	प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	उद्यमियों की संख्या	पौधशाला की संख्या	लगाये गए कटिंग की संख्या	पौधशाला का क्षेत्रफल (एकड़)
1	बेगुसराय	बेगूसराय	4	4	60000	6
		समस्तीपुर	7	7	90000	9
		खगड़िया	1	1	10000	1
2	मिथिला	दरभंगा	15	15	175000	17.5
		मधुबनी	12	12	250000	25
3	सारण	वैशाली	211	211	2562000	258
		सारण	7	7	64500	8
4	सहरसा	सहरसा	9	9	150000	15
		सुपौल	14	14	175000	17.5
		मधेपुरा	8	8	55000	5.5
5	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	8	8	205000	20.5
		कटिहार	13	13	320000	32
6	अररिया	अररिया	19	19	240000	24
		किशनगंज	9	9	95000	9.5
7	बेतिया–2	प0 चम्पारण	4	4	90000	13.4
8	बेतिया–1	प0 चम्पारण	20	20	515000	49
9	मोतिहारी	पूर्वी चंपारण	5	5	95000	9.5
10	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	31	31	400000	40
		सीतामढ़ी	8	8	90000	9
		शिवहर	2	2	30000	3
कुल			**407**	**407**	**5671500**	**572.4**

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (अन्य प्रजातियों के लिए) योजना

राज्य में वनों के बाहर वृक्ष आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है। राज्य में विभागीय एवं कृषि वानिकी के लिए बड़े पैमाने पर पौधों की जरूरत होगी। इसके लिए पौधों की आपूर्ति निजी पौधशाला से भी करने का प्रावधान किया गया है जिसमें उद्यमियों/कृषकों को पौधशाला स्थापना के लिए आवश्यक सहयोग दिए जायेगें। इसमें अलग–अलग प्रजातियों के पौधे तैयार होगें।

योजना का उद्देश्य :–

- अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण।
- बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% वृक्ष आवरण की प्राप्ति में सहयोग करना।

पौधशाला के लिए सहयोग :– पौधशाला स्थापना के लिए पॉलिथीन (बड़े ट्यूब/छोटे ट्यूब) न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। गोबर, खाद, रसायनिक खाद, पौधशाला उपकरण भी न्यूनतम दर पर पौधशाला संचालकों द्वारा क्रय कराये जाने में सहयोग किया जायेगा।

योजना में दिए जाने वाले लाभ :–

- छोटे ट्यूब के पौधों के लिए दो किस्तों में (पहला किस्त देय राशि का 40%, फरवरी माह में दूसरा किस्त 60% मई माह में)
- बड़े ट्यूब के पौधों के लिए तीन किस्तों में (20% मार्च में, 30% दुर्गापूजा के पहले, 50% दुर्गापूजा के बाद निर्धारित राशि का) क्रमशः भुगतान किया जायेगा।
- इस वित्तीय वर्श के लिए यह राशि छोटे ट्यूब– ₹ 6.10 पैसे एवं बड़े ट्यूब ₹ 18.10 निर्धारित की गयी है।
- पौधशाला से प्राप्त पौधों को कृषि वानिकी योजनांर्गत किसानों की जमीन पर रोपण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

योजना में शामिल जिलों का नाम :– बिहार के सभी जिलें।

रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य :– इस योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में कुल **874.73** लाख पौधे तैयार किए जायेंगे।

क्र0	वर्ष	पौधशाला संख्या	प्रति इकाई पौधों की संख्या	कुल पौधे (लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	2012–13	354	20,000	70.8
2.	2013–14	534	20,000	106.8
3.	2014–15	1212.9	20,000	242.58
4.	2015–16	1182.9	20,000	236.58
5.	2016–17	1089.85	20,000	217.97
योग पाँच वर्ष		**4373.65**		**874.73**

मुख्यमंत्री सामान्य प्रजाति पौधशाला की उपलब्धि

क्र0सं0	प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	उद्यमियों की संख्या	पौधशाला की संख्या	छोटा ट्यूब की संख्या	बड़ा ट्यूब की संख्या
1	रोहतास	रोहतास	3	3	30000	30000
2	मोतिहारी	पूर्वी चम्पारण	7	7	70000	70000
3	नालन्दा	नालन्दा	4	4	40000	40000
4	कैमूर	कैमूर	5	5	50000	50000
5	बेगूसराय	बेगूसराय	10	10	100000	100000
		समस्तीपुर	14	14	140000	140000
6	मिथिला	दरभंगा	14	14	140000	140000
		मधुबनी	11	11	110000	110000
7	सारण	वैशाली	22	22	220000	220000
		सारण	6	6	60000	60000
8	**सहरसा**	**सहरसा**	**15**	**15**	**150000**	**150000**
		सुपौल	**25**	**25**	**250000**	**250000**
		मधेपुरा	**8**	**8**	**80000**	**80000**
9	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	14	14	140000	140000
		कटिहार	4	4	40000	40000
		भागलपुर	1	1	10000	10000
10	अररिया	अररिया	21	21	210000	210000
		किशनगंज	12	12	120000	120000
11	बेतिया–1	प0 चम्पारण	3	3	30000	30000
12	बेतिया–2	प0 चम्पारण	4	4	40000	40000
13	बाँका	बाँका	10	10	100000	100000
		भागलपुर	4	4	40000	40000
14	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	17	17	170000	170000
		सीतामढ़ी	23	23	230000	230000
		शिवहर	1	1	10000	10000
15	पटना	पटना	6	6	60000	60000
16	भोजपुर	भोजपुर	4	4	40000	40000
		बक्सर	2	2	20000	20000
17	गया	गया	5	5	50000	50000
		जहानाबाद	0	0	0	0
18	औरंगाबाद	औरंगाबाद	3	3	30000	30000
		अरवल	1	1	10000	10000
		नवादा	5	5	50000	50000
19	जमुई	जमुई	5	5	50000	50000
		शेखपुरा	2	2	20000	20000
20	**गोपालगंज**	**गोपालगंज**	**2**	**2**	**20000**	**20000**
		सिवान	**1**	**1**	**10000**	**10000**
21	मुंगेर	मुंगेर	5	5	50000	50000
		लखीसराय	3	3	30000	30000
कुल			**302**	**302**	**3020000**	**3020000**